



कार्यालय अंचल अधिकारी, करी।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०- 259/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
<p>13.10.2020</p>	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>506</u> थाना नं० <u>09</u> खाता नं० <u>55/23</u> खेसरा नं० <u>1942, 1943, 1834</u> रकबा <u>3.94</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....पर जमाबंदी रैयत <u>नुवास</u> पिता/पति <u>सुइला सुइला</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की नांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय। अभिलेख दिनांक <u>21.10.20</u> को रखा। लक्ष्मी एवं सहायित अंचल अधिकारी</p>	
	<p><u>[Signature]</u> अंचल अधिकारी</p>	

आदेश का कमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
<p>07/12/2020</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत नुवास मुण्डा पिता मुड़ला मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं० 002860 एवं बिहार भू-दान यज्ञ कमिटी द्वारा निर्गत भूमि का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा इटठे, थाना नं० 09 के सर्वे खतियान में खाता सं० 55 प्लॉट 1942, 1834 एवं 1943 रकबा क्रमशः 2.20, 0.98 एवं 0.16 कुल रकबा 3.94 एकड़ भूमि गैरमजुरुआ खास दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ठ सं० 81 पर खाता सं० 55 प्लॉट 1942, 1834 एवं 1943 रकबा क्रमशः 2.20, 0.98 एवं 0.16 कुल रकबा 3.94 एकड़ नुवास मुण्डा पिता मुड़ला मुण्डा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर भू-दान वितरण पंजी में जमाबंदी रैयत का नाम दर्ज है। किन्तु सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। संबंधित पक्ष का लगभग 45 वर्षों से दखल-कब्जा है। परन्तु संदिग्ध जमाबन्दी वाद सं० 259/2016-17 के Online सूची में खाता सं० 55 कुल रकबा 1.74 एकड़ दर्ज पाया गया। इस प्रकार रकबा में अन्तर है।</p> <p>अतः त्रुटिपूर्ण रहने के कारण वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखामित संशोधित।  अंचल अधिकारी करा।</p> <p> अंचल अधिकारी करा।</p>	